उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-19/2017/69/92-2-17-104जॉच/2013
लखनऊ:: दिनांक:: 12 जनवरी,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण कार्य में की गयी गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुंचाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2015/1862/92-1-15-104जांच /2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-286/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-श्रावस्ती/ 2016-17 दिनांक 28.07.2016 द्वारा जांच आख्या शासन में उपल्ब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्व पाये गये, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-1404/92-2-2016-104जांच/2013 दिनांक 14.09.2016 एंव अनुस्मारक पत्र दिनांक 25.10.2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या की संलग्नक सहित छायाप्रति प्रेषित करते हुये श्री दूबे से 15 दिन में उनका अभ्यावेदन मांगा गया, परन्तु तय समय सीमा तक अभ्यावेदन प्राप्त न होने के फलस्वरूप शासन में उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :-

(अ) जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-सिरसिया के ग्राम गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैसाही नाले पर 5.00X5.00 मी0 स्पान पुल का निर्माण बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-519/35-3-2012 दिनांक 17-10-2012 द्वारा स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत रू0 93.07 लाख थी। कार्य का विस्तृत आंगणन गठित करते समय पुल के कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन नही किया गया था।

(ब) जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकारियों की जॉच समिति के निरीक्षण के समय पुल के तीसरे पियर के अगले भाग पर बल्जिंग/उभार चिनाई कार्य में पाये गये। तीसरे पियर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की चिनाई में ईटों के रददो के ऊपर एवं नीचे क्रैक पाये गये तथा तिरछा दिखायी दिये। पियर सं0-03 क्षतिग्रस्त पाया गया, 01 इंच की दरार पायी गयी, कट आफ वाल का निर्माण एस्कवरिंग डेप्थ के अनुसार नही पाया गया। अत: पियर सं0-03 क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें क्रैक आ गया।

उपरोक्तानुसार भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर त्रुटिपूर्ण/मानक के विपरीत पुलिया निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप शासन को रू0 93.07 लाख की शासकीय क्षति हुई।

2- शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास बरगदहा गॉव में 3.00X5.00 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण बिना कार्यस्थल का परीक्षण किये और न ही हाईड्रोलिक सर्वे जैसे- कैचमेन्ट एरिया का आंकलन किया गया, जिसके कारण आवश्यकता से काफी कम लम्बाई की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप उक्त पुलिया प्रथम बरसात की बाढ के समय ही बह गयी।

इस प्रकार शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास आवश्यकता से काफी कम लम्बाई की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण करने के फलस्वरूप रू0 18,78,901.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई।

उक्तानुसार श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी द्वारा कराये गये त्रुटिपूर्ण कार्य/भुगतान करने के लिये श्री वी0के0 दूबे की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए उन्हे निम्नवत "परिनिन्दा" प्रदान कर अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तगर्त जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया का त्रुटिपूर्ण कार्य कराने एवं शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया में जानबूझ कर कम स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराने के फलस्वरूप रू0 93.07 लाख एवं रू0 18,78,901.00 की धनराशि की शासकीय क्षति हेतु श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-   /2017/69(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री वी0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति प्रखण्ड-झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।